

**FORM-1**  
**(for linear projects)**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Office of the District Collector, Hamirpur (H.P.)**

No... 185/PRA

Dated... 25-06-2015

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **00-44-92 hectares** of forest land situated in Tikka Badoi proposed for construction of **Link Road Ansra- Lohrli**, Tehsil Nadaun, District Hamirpur which falls within jurisdiction of forest area of **Tehsil Nadaun, District Hamirpur**.

It is further certified that:

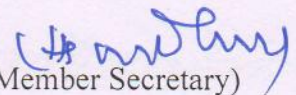
- (tt) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-44-92** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... to.....annexure.....
- (uu) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha/Revenue Village Level Committees have given their consent to it.
- (vv) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl.:As Above.

  
District Collector,  
Hamirpur District Hamirpur.

Proceeding of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Forest Right Act-2006) was held on dated 10-04-2015 under the Chairmanship of Sh. Rohan Chand Thakur (IAS) Deputy Commissioner Hamirpur.

The presence of Members of Committee is as Under:

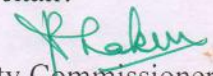
- 1 Smt. Sangeeta Chandel  
Divisional Forest Officer , Hamirpur. (Member) 
- 2 Smt. Promila Devi Member of Zila Parishad  
D/o Sh. Ishwar Dutt R/o Vill Bailag, PO Jijwin,  
Tehsil Bhoranj (Member)
3. Smt. Arvid Kaur Rani Member Zila Parishad,  
W/o Sh. Manjit Singh V. P.O. Mehre, (Member)
- 4 Sh. Yashveer Singh, Member Zila Parishad  
S/o Sh. Bachitter Singh Vill. Samella P.O.  
Maharal, Tehsil Barsar, District Hamirpur (Member) 
- ✓ 5 Sh. Himanshu Shekhar Chaudhary (IAS)  
Additional Deputy Commissioner, Hamirpur. (Member Secretary) 

On the basis of recommendation received from Sub- Division Level Committees Nadaunvide his office letter letter No.248/SDN/OK dated 18-03-2015, the proposal for the diversion of Forest land in favour of HPPW Department for the Construction of link roads which falls in the jurisdiction of Nadaun Forest Division consisting of area of SDO© in Sub Divisions Nadaun as per detail given below:

| Sr. No | Name of Forest | Name of Panchayat | Khasra No.                             | Area Proposed for diversion (Hects) | Purpose/Construction of                    |
|--------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1      | Kashmir        | Kashmir           | 2588/1                                 | 00-04-22                            | Link road Panyali to Nugraon               |
| 2      | Ghaloon        | Ghaloon           | 457,598,600,<br>298/1,629/1            | 00-36-41                            | link road to vill. Ghaloon.                |
| 3      | Kashmir        | Kashmir           | 2597/1,2603/1,2604/1<br>2603/4, 2601/1 | 00-29-61                            | link road Kashmir to Bhira                 |
| 4      | Malag          | Malag             | 1628/2, 1629/2                         | 0049-11                             | link road Malag-Khatrod-Jassai-via Charada |
| 5      | Jassai         | Jassai            | 1540/1/1                               | 00-16-41                            | link road Daar-Dheli-Jassai                |
| 6      | Beha           | Majheli           | 2/2,23,86/2,<br>86/3,1684/2            | 00-28-14                            | link road to vill. Badhera.                |
| 7      | Beha           | Pansai            | 231/1,231/3                            | 00-14-87                            | link road Behaathol via Gujrehra.          |
| 8      | Badoi          | Jhallan           | 239,240,251,<br>13,93,97,117           | 00-44-92                            | link road Ansra-Loharli                    |
| 9      | Jangli         | Karour            | 72,180,195,222                         | 00-33-84                            | link road to vill Gauna                    |

The members present in the meeting expressed their consent for approval of the above proposals.

Meeting ended with the vote of thanks from and to the chair.

  
Deputy Commissioner,  
District Hamirpur (H.P.)

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Nadapur  
DISTRICT Hamirpur (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of Nadapur Sub- Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Anil Kumar SDO(Civil) Nadapur on 11-2-2015 at 3-30 AM/PM at Nadapur (Place) in which the application(s) claiming rights in 13-93-97-117 - 239-240-251 forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Thalon Gram Sabha, were discussed & consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

| <u>Name of Applicant</u> | <u>Decision (Recommended/not Recommended)</u>                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                       |                                                                                                            |
| 2.                       |                                                                                                            |
| 3.                       |                                                                                                            |
| Place:                   | <u>S.D.O. (C)</u><br><u>SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson</u>                                           |
| Date :                   | <u>Nadapur Distt. Hamirpur (H.P)</u><br><u>Sub-Division level Committee,</u><br><u>_____ Sub-Division.</u> |

3

304

Annexure-I

वनसंरक्षित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 05

दिनांक 23/03/2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा हलान की बैठक आज दिनांक 23-03-2014 को 10-40 बजे स्थान हलान में थी।

यहाँ अध्यक्षता में की गई जिसमें मोहन गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें हलान विभाग द्वारा अरुण के निर्माण के लिए हलान वन भूमि के उपयोग की मांगों प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाँववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं. \* पात्र गाँव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का आधार

- NIL -

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों का पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. \* पात्र ग्राम वासी का नाम

- NIL -

तदनुसार ग्राम सभा अरुण दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

मोहन जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान हलान  
दिनांक 23/03/14

अधीनस्थ निरस्तकर्ता साचव  
ग्राम सभा ग्राम प्रजापत अरुण  
विषय वन अधिकार (हलान)

\* गाँववासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।  
\*\* मोहन का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान  
madan Lal

रौकश कुमार  
नरेश कुमार  
निधु राम  
बन्नीलाल

## Annexure-II

संयुक्त जमजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम समा. 52 ला/7  
प्रतिनिधि प्रस्थाप 7/8

प्रस्ताव संख्या 08

दिनांक 16/01/2015

ग्राम समा. 52 ला/7 की बैठक आज दिनांक 16/01/15 को 10-00 बजे हुई।  
उपस्थित, स्थान 52 ला/7 में श्री श्रीमती 30 ला/7 की अध्यक्षता में  
की गई जिसमें 52 ला/7 की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत जंगल/वन  
क्षेत्र 14 (जिसमें 52 ला/7 विभाग द्वारा 30 ला/7 के निर्माण के लिए हैक्टयर वन  
भूमि का उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति की  
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासीयों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के दावों के साथ  
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का  
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कोड 0010 \* पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार

1.

2.

तदनुसार यह ग्राम समा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

कोड 0010

\* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम समा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन  
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान 52 ला/7  
दिनांक 16-01-2015

अध्यक्ष/हस्ताक्षरकर्ता ग्राम पंचायत 52 ला/7  
ग्राम समा. 52 ला/7

\* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के  
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा .....  
विकास खण्ड ..... जिला ..... (डि० प्र०)

प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 16/01/2015

गणपूर्ति 368

प्रस्ताव संख्या 05

विषय: ग्राम सभा .....  
के निर्माण हेतु .....  
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित .....  
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।ग्राम सभा ..... की बैठक आज दिनांक 16/01/2015  
को 12-10-09 बजे तथा .....  
की गई जिसमें .....  
के निर्माण हेतु .....  
00-44-92 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित  
हेतु उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर ध्यान की गई।सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने  
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर  
सहमत है।ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की  
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से  
यह निर्णय किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी  
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-44-92 हेक्टेयर वन भूमि को  
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... की  
सहमति दी जाती है।स्थान .....  
दिनांक 16-01-2015साचिव  
ग्राम पंचायत .....  
विषय: ग्राम सभा की सहमति